विविध **बैंक प्रकरण संख्या 71/2021(GCMS : 2021/192) ए यू स्मॉल फाईनेंस बैंक लिमिटेड (पूर्व में ए यू फाईनेंसर्स इण्डिया लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) कार्यालय 25–ए रविन्द्र पथ,** श्रीगंगानगर जरिये अधिकृत **हस्ताक्षरकर्त्ता –जरिये पोर्टफोलियो कलैक्शन मै**नेजर मनोज कुमार पुत्र महावीर **प्रसाद <u>बनाम</u> <u>1.</u> भंवरलाल शर्मा** पुत्र लक्षमणराम <u>2.</u> [illegible] शर्मा पुत्र किस्तूरी राम <u>3.</u> **संतोष** पत्नी लक्षणराम शर्मा <u>4.</u> प्रेम कुमार पुत्र लक्षणराम निवासीगण वार्ड नं 20, 8 एल.एल.जी. लालगढ जाटान श्रीगंगानगर <u>5.</u> **जगदीश कुमार** पुत्र गणेश निवासी 3 नम्बर स्कूल [illegible], 41 रविदास नगर, वार्ड नं. 40, श्रीगंगानगर

<u>25.04.2022</u>

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र मेहन्दीरत्ता उपस्थित हुए। प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता का कथन था कि प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत दिनांक 29.10.2021 को प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थीगण भंवरलाल, लक्षणराम, संतोष, प्रेम कुमार एवं जगदीश कुमार को ऋण सुविधा के रूप में 15.00/– लाख़ रूपये (अखरे रूपये पन्द्रह लाख मात्र) का ऋण दिनांक 06.07.2016 स्वीकृत किया था। ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी लक्षमण राम ने अपनी संपत्ति प्लॉट नं. 914 (क्षेत्रफल 1600 सक्वायर फुट), पुरानी आबादी, लालगढ जाटान तहसील व जिला श्रीगंगानगर प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी। उनका आगे कथन था कि अप्रार्थीगण द्वारा ऋण की शर्तो के अनुसार नियमित रूप से ऋण का भुगतान नही किया गया है जिस कारण उनका ऋण खाता दिनांक 30.11.2020 को अनर्जक परिसम्पत्ति(एन.पी.ए.) के स[illegible]ित कर दिया गया है। अप्रार्थी ऋणी के नाम दिनांक 21.09.2021 [illegible]/–रूपये ऋण राशि व इसके पश्चात के ब्याज व अन्य खर्चों अतिरिक्त के बकाया [illegible]स पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.01 13:20:24 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

अप्रार्थीगण को धारा 13(2)के अन्तर्गत 60 दिवस का नोटिस दिनांक 23.04.2021 को उक्त बकाया राशि जमा करवाने का जारी किया गया। धारा 13(2) के 60 दिवस के उक्त नोटिस पर अप्रार्थीगण भंवरलाल, लक्षणराम, संतोष, प्रेम कुमार एवं जगदीश कुमार को रजिस्टर्ड डाक से दिनांक 23.04.2021 को भिजवाये गये है तथा दो समचार पत्रों इण्डियान एक्सप्रैस एवं दैनिक नवज्योति में दिनांक 21.06.2021 को प्रकाशित करवाये है। **इसके बावजूद भी अप्रार्थी ऋणी द्वारा बैंक की उक्त बकाया राशि जमा नही करवाई गई है।** इसलिए अप्रार्थी ऋणी लक्षमणराम द्वारा प्रार्थी बैंक के पास अपनी सम्पत्ति प्लॉट नं. 914 (क्षेत्रफल 1600 सक्वायर फुट), पुरानी आबादी, लालगढ जाटान तहसील व जिला श्रीगंगानगर का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को पुलिस की सहायता से दिलाया जावे।

मैने प्रार्थी बैंक के अभिभाषक के उक्त तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध उनके प्रार्थना पत्र धारा 14, शपथ पत्र एवं अन्य उपलब्ध दस्तावेजात का भी अवलोकन किया तो पाया कि उक्त प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रार्थी बैंक ने **अप्रार्थीगण** भंवरलाल, लक्षणराम, संतोष, प्रेम कुमार एवं जगदीश कुमार को 15.00/— लाख रूपये (अखरे रूपये पन्द्रह लाख मात्र) का ऋण राशि की स्वीकृति 06.07.2016 को **प्रदान की थी।** ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी ऋणी लक्षमण राम **द्वारा सुरक्षा की एवज में अपनी सम्पत्ति** प्लॉट नं. 914 (क्षेत्रफल 1600 सक्वायर फुट), पुरानी आबादी, लालगढ जाटान तहसील व जिला श्रीगंगानगर प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी। प्रार्थी बैंक के प्रार्थना धारा 14 एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत शपथ पत्र के अनुसार अप्रार्थी ऋणी का खाता दिनांक ... को अनुत्पादक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.) हो गया। बैंक द्वारा अप्रार्थी ऋणी को धारा 13(2) के नोटिस दिनांक 23.04.2021 को जारी किये गये है तथा पोस्ट ऑफिस के रजिस्टर्ड डाक से दिनांक

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.01 13:20:24 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

23.04.2021 को भिजवाया गया, जिसकी रसीद पत्रावली में उपलब्ध है तथा अप्रार्थी को धारा 13(2) के नोटिस प्राप्ति के परिणामस्वरूप पोस्ट ऑफिस के ऑनलाईन ट्रेक/प्राप्ति रसीद पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। धारा 13(2) के नोटिस की चस्पांदगी के फोटोग्राफ पत्रावली में उपलब्ध है तथा प्रार्थी बैंक ने धारा 13(2) के नोटिस दो समाचार पत्रों इण्डियन एक्सप्रैस एवं दैनिक नवज्योति में दिनांक 21.06.2021 को प्रकाशन भी करवाया है।

वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई करने के लिए विवादग्रस्त सम्पत्ति जिसका भौतिक कब्जा चाहा जा रहा है वह सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में होना आवश्यक है और दूसरा सम्बन्धित ऋणियों पर धारा 13(2) के नोटिस की तामील ऋणियों/जमानतदारों पर विधिवत् रूप से होनी आवश्यक है।

जहां तक ऋण की एवज में बंधक रखी गई अप्रार्थी ऋणी लक्षमणराम द्वारा अपनी सम्पत्ति प्लॉट नं. 914 (क्षेत्रफल 1600 सक्वायर फुट), पुरानी आबादी, लालगढ जाटान तहसील व जिला श्रीगंगानगर जो प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखा हुआ है, का संबध है, वह निम्न हस्ताक्षरकर्ता के क्षेत्राधिकार जिला श्रीगंगानगर में स्थित है। इसलिए वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के तहत निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता कार्रवाई करने के लिए सक्षम है।

जहां तक अप्रार्थी ऋणियों पर धारा 13(2) के जारी नोटिस 23.04.2021 की तामील का प्रश्न है। प्रार्थना पत्र के अनुसार दिनांक 23.04.2021 को 60 दिवस में राशि जमा करवाने का धारा 13(2) का जारी नोटिस अप्रार्थी रजिस्टर्ड डाक से दिनांक 23.04.2021 को भिजवाया गया जिसकी रसीद पत्रावली में उपलब्ध है एवं अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के नोटिस की प्राप्ति के परिणामस्वरूप पोस्ट ऑफिस के ऑनलाईन ट्रैक/प्राप्ति रसीद पत्रावली में उपलब्ध नहीं है, इसलिए प्रार्थी बैंक ने धारा 13(2) को नोटिस की चस्पांदगी अप्रार्थीगण के निवास पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.01 13:20:24 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट

कर, दो समाचार पत्रों इण्डियन एक्सप्रैस एवं दैनिक नवज्योति में दिनांक 21.06.2021 को प्रकाशन करवाया है जो वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम 2002 के नियम 3 आधार पर अप्रार्थी को धारा 13(2) के नोटिस की तामील होना माना जाना उचित है। इसके बावजूद भी अप्रार्थी ने बैंक की समस्त बकाया ऋण राशि जमा नही करवाई है और न ही शपथ पत्र के अनुसार नोटिस पर कोई आपत्ति या अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है। इसलिए ऋण की सुरक्षा की एवज में ऋणी लक्षमणराम के द्वारा प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी गई संपतियों का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को दिलाया जाना उचित होगा।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी ए.यू. स्मॉल फाईनेंस बैंक लिमिटेड का उक्त प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 अन्तर्गत धारा 14 **स्वीकार किया जाता है** और अप्रार्थी ऋणी लक्षमण राम द्वारा प्रार्थी बैंक से प्राप्त ऋण की सुरक्षा की एवज में बंधक रखी गई सम्पत्ति प्लॉट नं. 914 (क्षेत्रफल 1600 सक्वायर फुट), पुरानी आबादी, लालगढ जाटान तहसील व जिला श्रीगंगानगर **का भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी बैंक को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते है।** इस आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को इस आदेश के साथ अग्रेषित की जाती है कि प्रार्थी बैंक को उक्त अचल सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाने हेतु उनके चाहे अनुसार, नियमानुसार पुलिस सहायता उपलब्ध करवाई जावें। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक व जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.01 13:20:24 IST
Reason: SelfAttested

यह आदेश आज दिनांक 25.04.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रुक्मणि रियार सिहाग)
जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर